



वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 4)

[31 दिसम्बर, 2015]

विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के वाणिज्यिक न्यायालयों,¹ [वाणिज्यिक अपील न्यायालय], उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—²[(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015 है।]

(2) इसका विस्तार ^{3***} संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह तारीख 23 अक्टूबर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

⁴[(क) “वाणिज्यिक अपील न्यायालय” से धारा 3क के अधीन पदाधिकारी वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिप्रेत है;]

⁵[(कक) “वाणिज्यिक अपील प्रभाग” से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग अभिप्रेत है;

(ख) “वाणिज्यिक न्यायालय” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित वाणिज्यिक न्यायालय अभिप्रेत है;

(ग) “वाणिज्यिक विवाद” से—

(i) वणिकों, वैंकारों, वित्तदाताओं और व्यापारियों के सामान्य संव्यवहारों से, जैसे वाणिज्यिक दस्तावेजों से, जिनके अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों का प्रवर्तन और निर्वचन भी है, संबंधित हैं;

(ii) वाणिज्या और सेवाओं के नियाति या आयात से;

(iii) नावधिकरण और समुद्री विधि से संबंधित मुद्दों से;

(iv) वायुयान, वायुयान इंजनों, वायुयान उपस्करों और हेलीकाप्टरों से, जिनके अंतर्गत उनका विक्रय करना, उन्हें पट्टे पर देना और उनके लिए वित्तपोषण करना भी है, संबंधित संव्यवहारों से;

(v) माल वहन से;

(vi) सन्निर्माण और अवसंरचना संविदाओं से, जिनके अंतर्गत निविदाएं भी हैं;

(vii) ऐसी स्थावर संपत्ति से, जिसका प्रयोग अनन्य रूप से व्यापार या वाणिज्य में किया जाता है, संबंधित करारों से;

(viii) फ्रेंचाइजी के करारों से;

(ix) वितरण और अनुज्ञापन संबंधी करारों से;

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

⁴ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 4 द्वारा पुनःसंख्यांकित।



- (x) प्रबंधन और परामर्श कार्य संबंधी करारों से;
- (xi) संयुक्त उपक्रम संबंधी करारों से;
- (xii) शेयर धारकों के करारों से;
- (xiii) सेवा उद्योग, जिसके अंतर्गत बाह्यस्रोतीय सेवाएं और वित्तीय सेवाएं भी हैं, के संबंध में अभिदान और विनिधान संबंधी करारों से;
- (xiv) वाणिज्या अभिकरण और वाणिज्या प्रथा से;
- (xv) भागीदारी संबंधी करारों से;
- (xvi) प्रौद्योगिकी विकास संबंधी करारों से;
- (xvii) रजिस्ट्रीकृत और अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों, प्रतिलिप्यधिकार पेटेंट, डिजाइन, प्रभुत्व क्षेत्र नामों, भौगोलिक उपदर्शनों और अर्धचालक एकीकृत सर्किटों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों से;
- (xviii) माल के विक्रय या सेवाओं का उपबंध करने के करारों से;
- (xix) तेल और गैस रिजर्व या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के, जिनके अंतर्गत विद्युत-चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी है, समुपयोजन से;
- (xx) बीमे और पुनर्भीमे से;
- (xxi) उपर्युक्त में से किसी से संबंधित अभिकरण की संविदाओं से; और
- (xxii) ऐसे अन्य वाणिज्यिक विवादों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, अद्भूत होने वाले विवाद अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण—किसी वाणिज्यिक विवाद का, वाणिज्यिक विवाद नहीं रहना मात्र इस कारण से नहीं होगा कि—

- (क) उसमें स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण या प्रतिभूति के रूप में दी गई स्थावर संपत्ति में से धनराशि की वसूली करने की कार्रवाई भी अंतर्वलित है या स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई अन्य अनुतोष अंतर्वलित है;
- (ख) संविदा करने वाले पक्षकारों में से एक पक्षकार राज्य या उसके अभिकरणों या परिकरणों में से कोई अभिकरण या परिकरण अथवा लोक कृत्य करने वाला कोई प्राइवेट निकाय है;
- (घ) “वाणिज्यिक प्रभाग” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग अभिप्रेत है;
- (ङ) “जिला न्यायाधीश” का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड (क) में उसका है;
- (च) “दस्तावेज से” से, पत्रों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से किसी उपादान पर अभिव्यक्त या वर्णित कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है, जिसका उस सामग्री को अभिलेखबद्ध करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाना आशयित है या जिसका प्रयोग किया जाएगा;
- (छ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणिक रूपभेदों सहित तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ज) “अनुसूची” से अधिनियम से उपावद्ध अनुसूची अभिप्रेत है; और
- (झ) किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में “विनिर्दिष्ट मूल्य” से, किसी वाद की बाबत विषय-वस्तु का, धारा 12 के अनुसार यथा अवधारित ऐसा मूल्य अभिप्रेत है, जो ¹[तीन लाख रुपए] या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम का नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस संहिता या अधिनियम में उनके हैं।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।



अध्याय 2

१[वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपील न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों का गठन]

३. वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन—(१) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक न्यायालयों पर प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर उतने ऐसे न्यायालयों का गठन कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे:

२[परन्तु मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिस पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख से रुपए से कम नहीं और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोग्य धनीय अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे ।]

३[(१क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या राज्य के भाग के लिए ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख रुपए या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे ।]

(२) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर किसी वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जाएगा और समय-समय पर ऐसी सीमाओं को बढ़ा सकेगी, कम कर सकेगी या उनमें परिवर्तन कर सकेगी ।

२[(३) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से या तो जिला न्यायाधीश के स्तर पर या किसी जिला न्यायाधीश के स्तर से निम्न किसी न्यायालय से ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जिनके पास वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो, वाणिज्यिक न्यायालय का या के न्यायाधीश नियुक्त सकेगी ।

४[(३क). वाणिज्यिक अपील न्यायालयों का अभिहित किया जाना—ऐसे राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जिन पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा जिला न्यायाधीश के स्तर पर इतनी संख्या में वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिहित कर सकेगी, जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग और उन न्यायालयों को शक्ति प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।]

५. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन—(१) ऐसे सभी उच्च न्यायालयों में, जिन्हें ^५मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता प्राप्त है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, आदेश द्वारा, ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का, जिसमें एकल न्यायाधीश वाली एक या अधिक न्यायपीठें हों, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए गठन कर सकेगा ।

(२) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो ।

५. वाणिज्यिक अपील प्रभाग का गठन—(१) धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना अथवा धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन आदेश जारी किए जाने के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, आदेश द्वारा, ऐसे वाणिज्यिक अपील प्रभाग का, जिसमें एक या अधिक प्रभागीय न्यायपीठें हों, अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, गठन करेगा ।

(२) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक अपील प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो ।

६. वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता—वाणिज्यिक न्यायालय को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में, जिस पर उसमें राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता निहित की गई है, उद्भूत किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में सभी वादों और आवेदनों का विचारण करने की अधिकारिता होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वाणिज्यिक विवाद को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में, जिन पर वाणिज्यिक न्यायालय में अधिकारिता निहित की गई है, उद्भूत हुआ समझा जाएगा, यदि ऐसे वाणिज्यिक विवाद के संबंध में वाद या आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की धारा १६ से धारा २० के उपबंधों के अनुसार संस्थित किया गया हो ।

^१ 2018 के अधिनियम सं० २८ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित ।

^२ 2018 के अधिनियम सं० २८ की धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

^३ 2018 के अधिनियम सं० २८ की धारा ६ द्वारा अंतःस्थापित ।

^४ 2018 के अधिनियम सं० २८ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित ।

^५ 2018 के अधिनियम सं० २८ की धारा ८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

7. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता—किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के संबंध में मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले किसी उच्च न्यायालय में फाइल किए गए सभी वादों और आवेदनों की सुनवाई और उनका निपटारा उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा:

परंतु वाणिज्यिक विवादों से संबंधित ऐसे सभी वादों और आवेदनों की, जिनके बारे में किसी अधिनियम द्वारा यह अनुबंधित है कि वे किसी जिला न्यायालय से अवर न्यायालय में नहीं होंगे और उच्च न्यायालय की मूल शाखा में फाइल किए जाएंगे या लंबित रहेंगे, सुनवाई और उनका निपटारा उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा:

परंतु यह और कि डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 22 की उपधारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय को अंतरित सभी वादों और आवेदनों की सुनवाई और उनका निपटारा उन सभी देशों में, जिन पर उच्च न्यायालय मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा।

8. अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन या अर्जी का वर्जन—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सिविल पुनरीक्षण आवेदन या अर्जी को, किसी वाणिज्यिक न्यायालय के किसी अंतर्वर्ती आदेश, जिसके अंतर्गत अधिकारिता के विवाद्यक पर आदेश भी है, के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा और धारा 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी कोई चुनौती, वाणिज्यिक न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध केवल किसी अपील में ही दी जा सकेगी।

1*

*

*

*

*

10. माध्यस्थम् मामलों के संबंध में अधिकारिता—जहां किसी माध्यस्थम् की विषय-वस्तु किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की है और—

(1) यदि ऐसा माध्यस्थम् अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् है तो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अधीन ऐसे माध्यस्थम् से उद्भूत ऐसे सभी आवेदनों या अपीलों की, जो किसी उच्च न्यायालय में फाइल किए गए हों, सुनवाई और उनका निपटारा उस वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन उच्च न्यायालय में किया गया है।

(2) यदि ऐसा माध्यस्थम्, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न है तो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अधीन ऐसे माध्यस्थम् से उद्भूत ऐसे सभी आवेदनों या अपीलों की, जो किसी उच्च न्यायालय की मूल शाखा में फाइल किए गए हों, सुनवाई और उनका निपटारा उस वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन उस उच्च न्यायालय में किया गया है।

(3) यदि ऐसा माध्यस्थम् अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न है, तो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अधीन ऐसे माध्यस्थम् से उद्भूत ऐसे सभी आवेदन और अपीलें, जो सामान्यतया किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाले किसी प्रधान सिविल न्यायालय (जो उच्च न्यायालय न हो) के समक्ष होते हैं, ऐसे माध्यस्थम् पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले वाणिज्यिक न्यायालय में फाइल की जाएगी और उसके द्वारा उनकी सुनवाई की जाएगी तथा उनका निपटारा किया जाएगा जहां कि ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है।

11. वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता का वर्जन—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग, ऐसे किसी वाणिज्यिक विवाद से, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जन किया गया है, संबंधित किसी बाद, आवेदन या कार्यवाहियों को ग्रहण नहीं करेगा या उनका विनिश्चय नहीं करेगा।

अध्याय 3

विनिर्दिष्ट मूल्य

12. विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण—(1) किसी बाद, अपील या आवेदन में वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु के विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:—

(क) जहां किसी बाद या आवेदन में ईप्सित अनुतोष, धनराशि की वसूली के लिए है, वहां बाद या आवेदन में वसूली की जाने वाली ईप्सित धनराशि को, यथास्थिति, बाद या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख तक संगणित ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा;

(ख) जहां किसी बाद, अपील या आवेदन में ईप्सित अनुतोष जंगम-संपत्ति या उसमें के किसी अधिकार के संबंध में है, वहां, यथास्थिति, बाद, अपील या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख को जंगम-संपत्ति का, जो बाजार मूल्य है, उसे ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा;

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 9 द्वारा लोप किया गया।

(ग) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में ईमित अनुतोष स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी अधिकार के संबंध में है, वहां, यथास्थिति, वाद, अपील या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख को स्थावर संपत्ति का जो बाजार मूल्य है, उसे ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा; ¹[और]

(घ) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में ईमित अनुतोष किसी अन्य अमूर्त अधिकार के संबंध में है, वहां, वादी द्वारा उक्त अधिकारों के यथा प्राक्कलित बाजार मूल्य को ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा; ²***

2*

*

*

*

*

(2) किसी वाणिज्यिक विवाद के माध्यस्थम् में, दावे और प्रतिदावे का, यदि कोई हो, सकल मूल्य, जैसा दावे और प्रतिदावे के, यदि कोई हो, कथन में वर्णित है, इस बात का अवधारण करने का आधार होगा कि क्या ऐसा माध्यस्थम्, यथास्थिति, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन है।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन, यथास्थिति, कोई अपील या सिविल पुनरीक्षण आवेदन किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के उस आदेश के, जिसमें उसने यह निष्कर्ष दिया है कि उसे इस अधिनियम के अधीन किसी वाणिज्यिक विवाद की सुनवाई करने की अधिकारिता है, विरुद्ध नहीं होगी।

³[अध्याय 3क]

संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता

12क. संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता—(1) कोई वाद, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक वादी ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाए, संस्थित करने से पूर्व मध्यकता का उपचार प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा संस्थित करने से पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित प्राधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी, वादी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर मध्यकता की प्रक्रिया पूरी करेंगे:

परंतु मध्यकता की अवधि को पक्षकारों की सहमति से दो मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परंतु यह और कि उस अवधि की संगणना, जिसके दौरान पक्षकार संस्थित करने से पूर्व मध्यकता में लगे रहते हैं, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अधीन परिसीमा के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी।

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों में समझौता हो जाता है तो उसे लेखद्वारा किया जाएगा और उस पर विवाद के पक्षकारों और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) इस धारा के अधीन हुए समझौते की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा मानो यह माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 36) की धारा 30 की उपधारा (4) अधीन सहमत निवंधनों पर कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय हो।]

अध्याय 4

अपीलें

13. वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलें⁴—[(1) जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपील न्यायालय को अपील कर सकेगा।

(1क) यथास्थिति, आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग को अपील कर सकेगा:

परंतु कोई अपील, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या किसी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों से होगी, जो इस अधिनियम और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 37 द्वारा यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 43 में विशिष्ट रूप से प्रगणित है।]

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया।

³ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी उच्च न्यायालय के लैटर्स पेटेंट में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही होगी, अन्यथा नहीं।

14. अपीलों का शीघ्र निपटारा—[वाणिज्यिक अपील न्यायालय और वाणिज्यिक अपील प्रभाग], उसके समक्ष फाइल की गई अपीलों का निपटारा, ऐसी अपील के फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, करने का प्रयास करेगा।

अध्याय 5

लंबित वादों का अन्तरण

15. लंबित मामलों का अन्तरण—(1) किसी उच्च न्यायालय, में जहां किसी वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है, लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अधीन आवेदन भी है, वाणिज्यिक प्रभाग को अन्तरित कर दिए जाएंगे।

(2) किसी जिले या क्षेत्र के, जिसके संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, किसी सिविल न्यायालय में लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अधीन आवेदन भी है, उस वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित कर दिए जाएंगे:

परन्तु ऐसा कोई वाद या आवेदन, जिसमें वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किए जाने के पूर्व, न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आरक्षित रख दिया गया है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अन्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) जहां विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित कोई वाद या आवेदन, जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अधीन कोई आवेदन भी है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित हो जाता है, वहां इस अधिनियम के उपबंध उन प्रक्रियाओं के प्रति लागू होंगे जो उसके अन्तरण के समय पूरी नहीं हुई थीं।

(4) यथास्थिति, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय नई समय-सीमाएँ विहित करने के लिए या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के ३[आदेश 15क] के अनुसार ऐसे वाद या आवेदन के शीघ्र और प्रभावकारी निपटारे के लिए ऐसे और निदेश, जो आवश्यक हों, जारी करने के लिए ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन के संबंध में मामला प्रवंधन सुनवाइयां कर सकेगा:

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम (1) का परन्तुक ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन को लागू नहीं होगा और न्यायालय, अपने विवेकानुसार, ऐसी नई समयावधि विहित कर सकेगा जिसके भीतर लिखित कथन फाइल किया जाएगा।

(5) यदि ऐसा वाद या आवेदन उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अन्तरित नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वाद के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर, उस न्यायालय से जिसके समक्ष वह लंबित है, ऐसा वाद या आवेदन प्रत्याहृत कर सकेगा और उसे विचारण के लिए या उसका निपटारा करने के लिए, यथास्थिति, ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जिसे ऐसे वाद पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त है और ऐसा अन्तरण आदेश अन्तिम और आबद्धकर होगा।

अध्याय 6

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों का संशोधन

16. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को वाणिज्यिक विवादों को लागू किए जाने के लिए संशोधन—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद को लागू किए जाने के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन हो गए समझे जाएंगे।

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद के विचारण में, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों का पालन करेगा।

(3) जहां उच्च न्यायालय की अधिकारिता के किसी नियम का या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) का राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी संशोधन का कोई उपबंध, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के प्रतिकूल है, वहां इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध अभिभावी होंगे।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

17. वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों द्वारा डाटा का संग्रहण और प्रकटन—यथास्थिति, ३[वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय], वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग के समक्ष फाइल किए गए वादों, आवेदनों, अपीलों या

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

रिट याचिकाओं की संख्या, ऐसे लम्बित मामलों की संख्या, ऐसे प्रत्येक मामले की प्रास्थिति और निपटाए गए मामलों की संख्या के बारे में सांख्यिकी डाटा, [वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय], वाणिज्यिक अपील प्रभाग द्वारा जाएगा और उसे प्रतिमास अद्यतन किया जाएगा और सुसंगत उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

18. निर्देश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति—उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के अध्याय 2 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों की, जहां तक ऐसे उपबंध किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के प्रति लागू होते हैं, अनुपूर्ति के लिए पद्धति निर्देश जारी कर सकेगा।

19. अवसंरचना सुविधाएं—राज्य सरकार वाणिज्यिक न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

20. प्रशिक्षण और सतत शिक्षा—राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, ऐसे न्यायाधीशों के, जिन्हें वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय], किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग में नियुक्त किया जाए, प्रशिक्षण का उपबंध करने संबंधी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना कर सकेगी।

21. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपबंध, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

21क. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन संस्थित करने से पहले मध्यकाता की रीति और प्रक्रिया;

(ख) कोई ऐसा अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

22. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:—

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

23. निरसन और व्यावृति—(1) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं० 8) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

(धारा 16 देखिए)

1. धारा 26 का संशोधन—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 26 की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 प्रतिस्थापित।

² 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।

“परंतु ऐसा कोई शपथ-पत्र, आदेश 6, नियम 15क के अधीन यथाविहित प्ररूप और रीति में होगा ।”।



2. धारा 35 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन— संहिता की धारा 35 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात्:—

“35. खर्चे—(1) न्यायालय को, किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी, यह अवधारण करने का विवेकाधिकार है कि:—

- (क) क्या खर्चे एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को संदेय हैं;
- (ख) उन खर्चों की मात्रा; और
- (ग) उनका संदाय कब किया जाना है।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजन के लिए “खर्चे” पद से,—

- (i) साक्षियों की उपगत फीस और व्ययों से;
- (ii) उपगत विधिक फीस और व्ययों से;
- (iii) कार्यवाहियों के संबंध में उपगत किन्हीं अन्य व्ययों से,

संबंधित युक्तियुक्त खर्चे अभिप्रेत हैं।

(2) यदि न्यायालय खर्चों के संदाय का आदेश करने का विनिश्चय करता है तो साधारण नियम यह है कि असफल पक्षकार को सफल पक्षकार के खर्चों का संदाय करने के लिए आदेशित किया जाएगा:

परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसा कोई आदेश कर सकेगा, जो साधारण नियम से भिन्न है।

दृष्टांत

वादी अपने वाद में संविदा भंग के लिए किसी धन संबंधी डिक्री और नुकसानियों की ईप्सा करता है। न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि वादी धन संबंधी डिक्री का हकदार है। तथापि, उसका पुनः यह निष्कर्ष है कि नुकसानियों का दावा तुच्छ और तंग करने वाला है।

ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय, वादी के सफल पक्षकार होने के बावजूद नुकसानियों के लिए तुच्छ दावे करने के कारण वादी पर खर्चे अधिरोपित कर सकेगा।

(3) न्यायालय, खर्चों के संदाय का आदेश करते समय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा,—

- (क) पक्षकारों का आचरण;
- (ख) क्या कोई पक्षकार अपने मामले में सफल हुआ है, भले ही वह पक्षकार पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ हो;
- (ग) क्या पक्षकार ने मामले के निपटारे में विलंब करने वाला कोई तुच्छ प्रतिदावा किया है;
- (घ) क्या समझौता करने का एक पक्षकार द्वारा कोई युक्तियुक्त प्रस्ताव किया गया है और अन्य पक्षकार द्वारा उसको अयुक्तियुक्त रूप से इंकार किया गया है; और
- (ड) क्या पक्षकार द्वारा तुच्छ दावा किया गया है और न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए तंग करने वाली कार्यवाही संस्थित की गई है।

(4) ऐसे आदेशों में, जो न्यायालय द्वारा इस उपबंध के अधीन किए जा सकेंगे, ऐसा आदेश सम्मिलित होगा कि किसी पक्षकार को,—

- (क) दूसरे पक्षकार के अनुपातिक खर्चों का;
- (ख) दूसरे पक्षकार के खर्चों के संबंध में कथित रकम का;
- (ग) किसी निश्चित तारीख से या निश्चित तारीख तक के खर्चों का ;
- (घ) कार्यवाहियां आरंभ होने के पहले उपगत खर्चों का ;
- (ड) कार्यवाहियों में किए गए विशिष्ट उपायों से संबंधित खर्चों का ;
- (च) कार्यवाहियों के किसी सुभिन्न भाग से संबंधित खर्चों का ; और



(छ) किसी निश्चित तारीख से या निश्चित तारीख तक के खर्चों पर ब्याज का,
“संदाय करना होगा।”।

3. धारा 35क का संशोधन—संहिता की धारा 35क की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

4. पहली अनुसूची का संशोधन—संहिता की पहली अनुसूची में,—

(अ) आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा, उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चों का, जो न्यायालय ठीक समझे, संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन के बाद का नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।”;

(आ) आदेश 6 में,—

(i) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“**3क. वाणिज्यिक न्यायालयों में अभिवचन के प्ररूप**—किसी वाणिज्यिक विवाद में, जहां ऐसे वाणिज्यिक विवादों के प्रयोजनों के लिए बनाए गए उच्च न्यायालय नियमों या पद्धति निदेशों के अधीन अभिवचनों के प्ररूप विहित किए गए हैं, अभिवचन उन प्ररूपों में होंगे।”;

(ii) नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“15क. वाणिज्यिक विवाद में अभिवचनों का सत्यापन—(1) नियम 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वाणिज्यिक विवाद में प्रत्येक अभिवचन इस अनुसूची के परिशिष्ट में विहित रीति और प्ररूप में शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन कोई शपथ-पत्र कार्यवाहियों के पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या ऐसे पक्षकार या पक्षकारों की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया जाता है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है और ऐसे पक्षकार या पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) जहां किसी अभिवचन में संशोधन किया जाता है, वहां जब तक न्यायालय अन्यथा आदेश न दे, संशोधनों को उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप और रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(4) जहां किसी अभिवचन को उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीति से सत्यापित नहीं किया जाता है, वहां पक्षकार को साक्ष्य के रूप में ऐसे अभिवचन पर या उसमें उपवर्णित विषयों में से किसी पर निर्भर होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) न्यायालय, किसी ऐसे अभिवचन को, जिसे सत्यता के कथन अर्थात् इस अनुसूची के परिशिष्ट में उपवर्णित शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित नहीं कर दिया जाता है, काट सकेगा।”;

(इ) आदेश 7 के नियम 2 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“**2क. जहां वाद में ब्याज ईप्सित है**—(1) जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है, वहां वादपत्र में उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन उपवर्णित व्यौरे के साथ उस प्रभाव का एक कथन अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(2) जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है, वहां वादपत्र में यह कथन किया जाएगा कि क्या वादी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 34 के अर्थात् र्गत किसी वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में ब्याज की ईप्सा कर रहा है और इसके अतिरिक्त, यदि वादी, ऐसा किसी संविदा के निवंधनों के अधीन या किसी अधिनियम के अधीन कर रहा है, तो उस दशा में वादपत्र में उस अधिनियम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा या यदि वह ऐसा किसी अन्य आधार पर कर रहा है तो उस आधार का कथन किया जाएगा।

(3) अभिवचनों में निम्नलिखित का भी कथन किया जाएगा,—

(क) ऐसी दर, जिस पर ब्याज का दावा किया गया है;

- (ख) ऐसी तारीख, जिससे उसका दावा किया गया है;
 - (ग) ऐसी तारीख, जिसको उसकी संगणना की गई है;
 - (घ) संगणना की तारीख को दावा किए गए व्याज की कुल रकम; और
 - (ङ) दैनिक दर, जिस पर उस तारीख के पश्चात् व्याज प्रोद्भूत होता है।”;
- (इ) आदेश 8 में,—

(i) नियम 1 के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा, उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चों का, जो न्यायालय ठीक समझे, संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।”;

(ii) नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

“३क. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान—(१) इस नियम के उपनियम (२), उपनियम (३), उपनियम (४) और उपनियम (५) में उपबंधित रीति से प्रत्याख्यान किया जाएगा।

(२) प्रतिवादी अपने लिखित कथन में यह कथन करेगा कि वादपत्र की विशिष्टियों में किन अभिकथनों का वह प्रत्याख्यान करता है, किन अभिकथनों को वह स्वीकार करने या उनका प्रत्याख्यान करने में असमर्थ है किंतु जिनको वह वादी से सावित करने की अपेक्षा करता है और किन अभिकथनों को वह स्वीकार करता है।

(३) जहां प्रतिवादी किसी वादपत्र में तथ्य के किसी अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, वहां उसे ऐसा करने के अपने कारणों का कथन करना होगा और यदि उसका आशय वादी द्वारा जो घटनाओं का विवरण दिया गया है, उससे भिन्न विवरण पेश करने का है तो उसे अपने स्वयं के विवरण का कथन करना होगा।

(४) यदि प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता के प्रति विवाद करता है जो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो इस बारे में उसे अपना स्वयं का कथन करना होगा कि किस न्यायालय की अधिकारिता होनी चाहिए।

(५) यदि प्रतिवादी वादी के वाद के मूल्यांकन के प्रति विवाद करता है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो उसे वाद के मूल्य के बारे में अपना स्वयं का कथन करना होगा।”;

(iii) नियम 5 के उपनियम (१) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परंतु यह और कि वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक अभिकथन को, यदि इस आदेश के नियम ३क के अधीन उपबंधित रीति से उसका प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, तो नियोग्यता के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन होने के सिवाय, स्वीकार किया जाने वाला माना जाएगा।”;

(iv) नियम 10 में ^{1****} निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

²[परंतु कोई न्यायालय, लिखित कथन फाइल करने के लिए इस आदेश के नियम १ के अधीन उपबंधित समय बढ़ाने का आदेश नहीं करेगा।”;]

(उ) संहिता के आदेश 11 के स्थान पर, निम्नलिखित आदेश रखा जाएगा, अर्थात् :—

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया।

² 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में दस्तावेजों का प्रकटन, प्रकटीकरण और निरीक्षण



1. दस्तावेजों का प्रकटन और प्रकटीकरण—(1) वादी, वादपत्र के साथ वाद से संबद्ध ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची और ऐसे सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां फाइल करेगा, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

- (क) ऐसे दस्तावेज, जो वादी द्वारा वादपत्र में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन पर उसने निर्भर किया है;
- (ख) कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित दस्तावेज, जो वादपत्र फाइल किए जाने की तारीख को वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में है, इस बात पर विचार किए बिना कि वह वादी के पक्षकथन के समर्थन में है या उसके प्रतिकूल है;

(ग) इस नियम में की कोई बात वादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को और ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो केवल,—

(i) प्रतिवादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए सुसंगत है; या

(ii) वादपत्र फाइल किए जाने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा किए गए किसी पक्षकथन का उत्तर देने के लिए सुसंगत हैं; या

(iii) किसी साक्षी को उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए है।

(2) वादपत्र के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या ऐसे दस्तावेज, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, मूल दस्तावेज हैं अथवा कार्यालय प्रतियां हैं, या फोटोप्रतियां हैं और सूची में प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के ब्यौरे, प्रत्येक दस्तावेज के निष्पादन, जारी करने या उसकी प्राप्ति के ढंग और उसकी अभिरक्षा की पंक्ति को भी संक्षेप में उपर्याप्त किया जाएगा।

(3) वादपत्र में वादी की ओर से सशपथ यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित ऐसे सभी दस्तावेजों का, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, प्रकटन कर दिया गया है और उसकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न कर दी गई हैं और वादी के पास उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के अधीन सशपथ घोषणा परिशिष्ट में यथा उपर्याप्त सत्यता के कथन में अंतर्विष्ट होगी।

(4) वादी शपथ-पत्र के अर्जेन्ट फाइल किए जाने की दशा में, उसका उपरोक्त घोषणा के भागरूप और न्यायालय द्वारा ऐसी इजाजत दिए जाने के अधीन रहते हुए अतिरिक्त दस्तावेजों पर निर्भर करने की इप्सा कर सकेगा और वादी, न्यायालय में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज सशपथ ऐसी घोषणा के साथ कि वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में के सभी दस्तावेज पेश कर दिए गए हैं और वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं, वाद फाइल किए जाने के तीस दिन के भीतर फाइल करेगा।

(5) वादी को न्यायालय की इजाजत के सिवाय, ऐसे दस्तावेजों पर निर्भर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और उनका वादपत्र के साथ या ऊपर उपर्याप्त विस्तारित अवधि के भीतर प्रकटन नहीं किया गया था और ऐसी इजाजत केवल वादी को वादपत्र के साथ अप्रकटन के युक्तियुक्त कारण सिद्ध किए जाने पर ही दी जाएगी।

(6) वादपत्र में ऐसे दस्तावेजों के ब्यौरों को उपर्याप्त किया जाएगा जिनके बारे में वादी को यह विश्वास है कि वे प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं और जिन पर वादी निर्भर करना चाहता है और जिनको उक्त प्रतिवादी द्वारा उनके पेश किए जाने की इप्सा करता है।

(7) प्रतिवादी, वाद से संबद्ध ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची और ऐसे सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, लिखित कथन के साथ या उसके प्रतिदावे के साथ, यदि कोई हो, फाइल करेगा, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) ऐसे दस्तावेज, जो प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन पर वह निर्भर करता है;

(ख) कार्यवाही में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित ऐसे सभी दस्तावेज, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, इस बात पर विचार किए जाने कि वे प्रतिवादी की प्रतिरक्षा के समर्थन में हैं या उसके प्रतिकूल;

(ग) इस नियम की कोई बात प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को और ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो केवल,—

(i) वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, या

(ii) वादपत्र फाइल किए जाने के पश्चात् वादी द्वारा किए गए किसी पक्षकथन का उत्तर देने के लिए सुसंगत हैं; या

(iii) किसी साक्षी को उसकी समृद्धि को ताजा करने के लिए हैं।

(8) लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या ऐसे दस्तावेज, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, मूल दस्तावेज हैं, कार्यालय प्रतियां हैं या फोटोप्रतियां हैं और सूची में प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के ब्यौरे, प्रत्येक दस्तावेज के निष्पादन, जारी करने या उसकी प्राप्ति के ढंग और उसकी अभिरक्षा की पंक्ति को भी संक्षेप में उपवर्णित किया जाएगा।

(9) अभिसाक्षी द्वारा लिखित कथन या प्रतिदावे में सशपथ यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि उन दस्तावेजों के सिवाय, जो उपरोक्त उपनियम (7) (ग) (iii) में उपवर्णित हैं, ऐसे सभी दस्तावेजों का, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों या प्रतिदावे में के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं, प्रकटन कर दिया गया है और उसकी प्रतियां लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ संलग्न कर दी गई हैं और यह कि प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

(10) प्रतिवादी को उपनियम (7) (ग) (iii) के सिवाय, ऐसे दस्तावेजों पर न्यायालय की इजाजत के सिवाय, निर्भर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जिनका लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ प्रकटन नहीं किया गया था और ऐसी इजाजत केवल प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ अप्रकटन के युक्तियुक्त कारण सिद्ध किए जाने पर ही दी जाएगी।

(11) लिखित कथन या प्रतिदावे में ऐसे दस्तावेजों के ब्यौरों को उपवर्णित किया जाएगा जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं और जिन पर प्रतिवादी निर्भर करना चाहता है और जिनका वादपत्र में प्रकटन नहीं किया गया है और जिनकी वादी द्वारा उन्हें पेश किए जाने की मांग की गई है।

(12) ऐसे दस्तावेजों के प्रकटन का कर्तव्य, जो किसी पक्षकार की जानकारी में आते हैं, वाद का निपटारा होने तक बना रहेगा।

2. परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण—(1) किसी भी वाद में वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकारों या ऐसे पक्षकारों में से किसी एक या अधिक की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाजत से परिदृत कर सकेगा और परिदृत किए जाते समय परिप्रश्नों में यह पाद टिप्पण होगा कि ऐसे व्यक्तियों में से हर एक ऐसे परिप्रश्नों में से किनका उत्तर देने के लिए अपेक्षित है:

परंतु कोई भी पक्षकार एक ही पक्षकार को परिप्रश्न के एक सर्वांग से अधिक उस प्रयोजन के लिए आदेश के बिना परिदृत नहीं करेगा:

परंतु यह और कि वे परिप्रश्न जो वाद में प्रश्नगत किन्हीं विषयों से संबंधित नहीं हैं, इस बात के होते हुए भी विसंगत समझे जाएंगे कि साक्षी की मौखिक प्रतिपरीक्षा करने में वे ग्राह्य होते।

(2) परिप्रश्नों के परिदान के लिए इजाजत के लिए आवेदन पर वे विशिष्ट परिप्रश्न, जिनका परिदान किए जाने की प्रस्थापना है, न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे और वह न्यायालय उक्त आवेदन के फाइल किए जाने के दिन से सात दिन के भीतर विनिश्चय करेगा, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने में न्यायालय किसी ऐसी प्रस्थापना पर भी विचार करेगा जो उस पक्षकार ने, जिससे परिप्रश्न किया जाना है, प्रश्नगत बातों या उनमें से किसी से संबंधित विशिष्टियों को परिदृत करने या स्वीकृतियां करने या दस्तावेज पेश करने के लिए की हों और उसके समक्ष रखे गए परिप्रश्नों में से केवल ऐसे परिप्रश्नों के संबंध में इजाजत दी जाएगी जिन्हें न्यायालय या तो वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) वाद के खर्चों का समायोजन करने में ऐसे परिप्रश्नों के प्रदर्शन के औचित्य के संबंध में जांच किसी पक्षकार की प्रेरणा पर की जाएगी और यदि विनिर्धारक अधिकारी या न्यायालय की राय, जांच के आवेदन पर या ऐसे आवेदन के बिना, यह हो कि ऐसे परिप्रश्न अयुक्तियुक्त: तंग करने के लिए या अनुचित विस्तार के साथ पेश किए गए हैं तो उक्त परिप्रश्नों और उनके उत्तरों के कारण हुए खर्चों किसी भी स्थिति में उस पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसने यह कसूर किया है।

(4) परिप्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 2 में दिए गए प्ररूप में ऐसे फेरफार के साथ होंगे, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

(5) जहां वाद का कोई पक्षकार निगम या व्यक्तियों का ऐसा निकाय है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो विधि द्वारा सशक्त है कि स्वयं अपने नाम से या किसी अधिकारी के या अन्य व्यक्ति के नाम से वाद ला सके या उस पर वाद लाया जा सके वहां कोई भी विरोधी पक्षकार ऐसे निगम या निकाय के किसी भी सदस्य या अधिकारी को परिप्रश्न परिदक्त करने के लिए अपने को अनुज्ञा देने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और आदेश तदनुसार किया जा सकेगा।

(6) किसी भी परिप्रश्न का उत्तर देने की बाबत इस आधार पर कि वह परिप्रश्न कलंकात्मक या विसंगत है या वाद के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है या वे विषय, जिनके बारे में पूछताछ की गई है, उस प्रक्रम में पर्याप्त रूप से तात्त्विक नहीं हैं, या विशेषाधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, कोई भी आक्षेप उत्तर में दिए गए शपथ-पत्र में किया जा सकेगा।

(7) कोई भी परिप्रश्न इस आधार पर अपास्त किए जा सकेंगे कि वे अयुक्तियुक्त : या तंग करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं या इस आधार पर काट दिए जा सकेंगे कि वे अतिविस्तृत, पीड़ा पहुंचाने वाले, अनावश्यक या कलंकात्मक हैं और इस प्रयोजन के लिए कोई भी आवेदन परिप्रश्नों की तामील के पश्चात् सात दिन के भीतर किया जा सकेगा।

(8) परिप्रश्नों का उत्तर शपथ-पत्र द्वारा दिया जाएगा, जो दस दिन के भीतर या ऐसे अन्य समय के भीतर, जो न्यायालय अनुज्ञात करे, फाइल किया जाएगा।

(9) परिप्रश्नों के उत्तर में दिया गया शपथ-पत्र पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 3 में दिए गए प्ररूप में ऐसे फेरफार के साथ होगा जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

(10) उत्तर में दिए गए किसी शपथ-पत्र पर कोई भी आक्षेप नहीं किए जाएंगे, किन्तु ऐसे किसी शपथ-पत्र के अपर्याप्त होने का आक्षेप किए जाने पर उसका पर्याप्त होना या न होना न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति जिससे परिप्रश्न किया गया है उत्तर देने का लोप करता है या अपर्याप्त उत्तर देता है वहां परिप्रश्न करने वाला पक्षकार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि उस पक्षकार से यह अपेक्षा की जाए कि वह, यथास्थिति, उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे और उससे यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया जा सकेगा कि वह, न्यायालय द्वारा जैसा भी निर्देश दिया जाए, या तो शपथ-पत्र द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे।

3. निरीक्षण—(1) सभी पक्षकार प्रकट किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण, लिखित कथन फाइल करने या प्रतिदावे का लिखित कथन फाइल करने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीस दिन के भीतर पूरा करेंगे। न्यायालय आवेदन किए जाने पर इस समय-सीमा को अपने विवेकानुसार बढ़ा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में ऐसा विस्तार तीस दिन से अधिक का नहीं होगा।

(2) कार्यवाहियों का कोई भी पक्षकार, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, अन्य पक्षकार से ऐसे दस्तावेजों को, जिनके निरीक्षण के लिए उस पक्षकार द्वारा इंकार कर दिया गया है या उन दस्तावेजों को उन्हें पेश किए जाने की सूचना जारी किए जाने बावजूद पेश नहीं किया गया है, उनका निरीक्षण करने या पेश करने के लिए न्यायालय से निर्देश की ईप्सा कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी आवेदन के संबंध में आदेश, ऐसा आवेदन फाइल किए जाने के, जिसके अन्तर्गत उत्तर और प्रत्युत्तर (यदि न्यायालय अनुज्ञात करे) फाइल करना और उनकी सुनवाई भी है, तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(4) यदि उपरोक्त आवेदन अनुज्ञात किया जाता है तो ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर ईप्सा करने वाले पक्षकार को निरीक्षण और इसकी प्रतियां दी जाएंगी।

(5) किसी भी पक्षकार को, न्यायालय की इजाजत के सिवाय, ऐसे किसी दस्तावेज पर निर्भर होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसे वह प्रकट करने में असफल रहा है या जिसका निरीक्षण नहीं करने दिया गया है।

(6) न्यायालय किसी ऐसे व्यतिक्रमी पक्षकार के विरुद्ध, जो जानवृक्षकर या उपेक्षापूर्वक किसी वाद से संबंधित ऐसे या उस मामले में विनिश्चय के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्रकट करने में असफल रहा है और जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा के अधीन थे या जहां कोई न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किन्हीं दस्तावेजों के निरीक्षण या उनकी प्रतियों को गलत तौर पर या अयुक्तियुक्त रूप से विधारित किया गया है या उससे इंकार किया गया है, निर्दर्शात्मक खर्च अधिरोपित कर सकेगा।

4. दस्तावेजों की स्वीकृति और प्रत्याख्यान—(1) प्रत्येक पक्षकार उन सभी दस्तावेजों को, जो प्रकटित हैं और जिनका निरीक्षण पूरा हो गया है, निरीक्षण पूरा होने की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर या न्यायालय द्वारा यथा नियत किसी पश्चात्वर्ती तारीख को स्वीकृतियों या प्रत्याख्यानों का एक विवरण भेजेगा।

(2) स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों के विवरण में सुस्पष्ट रूप से यह उपर्याप्त होगा कि क्या ऐसे पक्षकार ने निम्नलिखित की स्वीकृति दी है या उसका प्रत्याख्यान किया है,—

- (क) दस्तावेज की अंतर्वस्तु की शुद्धता;
- (ख) दस्तावेज का अस्तित्व;
- (ग) दस्तावेज का निष्पादन;
- (घ) दस्तावेज का जारी होना या प्राप्ति;
- (ड) दस्तावेज की अभिरक्षा।

स्पष्टीकरण—उपनियम (2) (ब) के अनुसार दस्तावेज के अस्तित्व की स्वीकृति या प्रत्याख्यान से संबंधित विवरण में दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं की स्वीकृति या उनका प्रत्याख्यान सम्मिलित होगा।

(3) प्रत्येक पक्षकार उपरोक्त में से किसी आधार पर दस्तावेज के प्रत्याख्यान के कारणों को उपर्याप्त करेगा और कोरे और असमर्थित प्रत्याख्यान को किसी दस्तावेज का प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं समझा जाएगा और ऐसे दस्तावेजों के सबूत से न्यायालय के विवेकानुसार अभिमुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

(4) तथापि, कोई पक्षकार कोरे प्रत्याख्यान किसी ऐसे अन्य पक्षकार के दस्तावेजों के लिए पेश कर सकेगा जिनमें प्रत्याख्यान कर रहा पक्षकार कोई पक्षकार नहीं है।

(5) स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों के विवरण के समर्थन में एक शपथ-पत्र, विवरण की अंतर्वस्तुओं की शुद्धता की पुष्टि करते हुए फाइल किया जाएगा।

(6) यदि न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किसी पक्षकार ने उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अधीन किसी दस्तावेज को ग्रहण करने से असम्यक रूप से इंकार किया है, तो किसी दस्तावेज की ग्राह्यता का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय द्वारा उस पक्षकार पर खर्चे (जिसमें निदर्शात्मक खर्चे भी हैं) अधिरोपित किए जा सकेंगे।

(7) न्यायालय, गृहीत दस्तावेजों के, जिनके अंतर्गत उस पर और सबूत का अधित्यजन या किन्हीं दस्तावेजों का अस्वीकार करना भी है, आदेश पारित कर सकेगा।

5. दस्तावेजों का पेश किया जाना—(1) किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय किसी पक्षकार या व्यक्ति द्वारा, ऐसे दस्तावेजों को, जो उस पक्षकार या व्यक्ति के कब्जे में हैं, ऐसे वाद के किसी प्रश्नगत विषय के संबंध में पेश करने की ईप्सा कर सकेगा या न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा।

(2) ऐसे दस्तावेज को पेश करने की सूचना सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के परिशिष्ट ग के प्ररूप सं० ७ में उपबंधित प्ररूप में जारी की जाएगी।

(3) किसी भी ऐसे पक्षकार या व्यक्ति को, जिसे दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी की गई है, ऐसे दस्तावेज को पेश करने या ऐसे दस्तावेज को पेश करने की अपनी असमर्थता बताने के लिए सात दिन से अन्यून और पन्द्रह दिन से अनधिक का समय दिया जाएगा।

(4) न्यायालय, दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी होने के पश्चात्, ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इंकार करने वाले और जहां इस प्रकार दस्तावेज पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं, किसी पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकेगा और खर्चों के बारे में आदेश कर सकेगा।

6. इलैक्ट्रोनिक अभिलेख—(1) इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों के प्रकटन और निरीक्षण की दशा में [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथा परिभाषित, मुद्रित प्रति देना] उपर्युक्त उपर्याप्तों की अनुपालना के लिए पर्याप्त होगा।

(2) पक्षकारों के विवेक पर या जहां अपेक्षित हो (जब पक्षकार दृश्य-श्रव्य अंतर्वस्तु पर निर्भर करने के इच्छुक हों) इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों की प्रतियां या तो मुद्रित प्रति के अतिरिक्त या उसके बदले में इलैक्ट्रोनिक रूप दी जा सकेगी।

(3) जहां इलैक्ट्रोनिक अभिलेख प्रकटित दस्तावेजों के भागरूप हैं, वहां किसी पक्षकार द्वारा फाइल की जाने वाली सशपथ घोषणा में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे,—

- (क) ऐसे इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के पक्षकार;
- (ख) वह रीति, जिसमें ऐसा इलैक्ट्रोनिक अभिलेख पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था;



(ग) ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के तैयार किए जाने या भंडारण या जारी अथवा प्राप्त किए जाने की तारीख

और समय;

(घ) ऐसे इलैक्ट्रोनिक अभिलेख का स्रोत और वह तारीख और समय, जब इलैक्ट्रोनिक अभिलेख मुद्रित किया गया था;

(ङ) ई-मेल आईडी की दशा में, ऐसे ई-मेल आईडी के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे;

(च) किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर भंडारित (जिसके अंतर्गत बाह्यसर्वर या क्लाउड भी है) दस्तावेजों की दशा में, कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर ऐसे डाटा के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे;

(छ) अभिसाक्षि की अंतर्वस्तुओं की और अंतर्वस्तुओं की सत्यता की जानकारी;

(ज) क्या ऐसे दस्तावेजों या डाटा को तैयार करने या प्राप्त करने या भंडारित करने के लिए प्रयुक्त कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत उचित रूप से कार्य कर रहा था या अपक्रिया की दशा में ऐसी अपक्रिया से भंडारित दस्तावेज की अंतर्वस्तुएं प्रभावित नहीं हुईं;

(झ) दी गई मुद्रित प्रति या प्रति मूल कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत से ली गई थी।

(4) किसी इलैक्ट्रोनिक अभिलेख की मुद्रित प्रति या इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रति पर निर्भर करने वाले पक्षकारों से इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के निरीक्षण कराए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परंतु यह तब जब ऐसे पक्षकार द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि ऐसी प्रत्येक प्रति, जो पेश की गई है, मूल इलैक्ट्रोनिक अभिलेख से बनाई गई है।

(5) न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर इलैक्ट्रोनिक अभिलेख की ग्राह्यता के लिए निदेश दे सकेगा।

(6) कोई भी पक्षकार न्यायालय से निदेश की ईप्सा कर सकेगा और न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा पर किसी इलैक्ट्रोनिक अभिलेख का, जिसके अंतर्गत मेटाडाटा या लॉग्स भी है, इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के ग्रहण किए जाने के पूर्व अतिरिक्त सबूत पेश करने का निदेश जारी कर सकेगा।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कतिपय उपंबधों का लागू न होना—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) का आदेश 13, नियम 1, आदेश 7, नियम 14, और आदेश 8, नियम 1क उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभागों या वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष वादों या आवेदनों को लागू नहीं होंगे।

5. नए आदेश 13क का अंतःस्थापन—संहिता के आदेश 13 के पश्चात् निम्नलिखित आदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“आदेश 13क

संक्षिप्त निर्णय

1. ऐसे वादों की व्याप्ति और वर्ग, जिनको यह आदेश लागू होता है—(1) इस आदेश में वह प्रक्रिया उपर्याप्त है, जिसके द्वारा कोई न्यायालय मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किए बिना किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी दावे का विनिश्चय कर सकेगा।

(2) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, “दावा” शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) किसी दावे का भाग;

(ख) कोई विशिष्ट प्रश्न, जिस पर दावा (चाहे पूर्ण रूप में या भागत:) निर्भर है; या

(ग) यथास्थिति, कोई प्रतिदावा।

(3) इस आदेश के अधीन संक्षिप्त निर्णय के लिए कोई आवेदन, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी वाणिज्यिक विवाद की बाबत किसी ऐसे वाद में नहीं किया जाएगा, जो मूल रूप से आदेश 37 के अधीन किसी संक्षिप्त वाद के रूप में फाइल किया गया है।

2. संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन का प्रक्रम—आवेदक, प्रतिवादी पर समन की तामील किए जाने पश्चात् किसी भी समय संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन कर सकेगा:

परंतु ऐसे आवेदक द्वारा, संक्षिप्त निर्णय के लिए कोई आवेदन, वाद के संबंध में न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किए जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।



3. संक्षिप्त निर्णय के लिए आधार—न्यायालय किसी दावे पर किसी वादी या प्रतिवादी के विरुद्ध संक्षिप्त निर्णय दें सकेगा यदि उसका यह विचार है कि,—

(क) यथास्थिति, वादी के दावे पर सफल होने की वास्तविक संभावना नहीं है या प्रतिवादी द्वारा दावे का सफलतापूर्वक प्रतिवाद करने की वास्तविक संभावना नहीं है; और

(ख) इस बात का कोई अन्य वाध्यकारी कारण नहीं है कि दावे का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करने के पहले निपटारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

4. प्रक्रिया—(1) न्यायालय को संक्षिप्त निर्णय के लिए किए गए किसी आवेदन में, ऐसे किन्हीं विषयों के अतिरिक्त, जिन्हें आवेदक सुसंगत समझे, इसके अन्तर्गत नीचे वर्णित उपखंड (क) से उपखण्ड (च) में वर्णित विषय होंगे—

(क) आवेदन में इस बात का कथन अवश्य अंतर्विष्ट होना चाहिए कि वह आवेदन इस आदेश के अधीन संक्षिप्त निर्णय के लिए किया गया है;

(ख) आवेदन में प्रमिततः सभी तात्त्विक तथ्य अवश्य प्रकट किए जाने चाहिए और विधि के प्रश्न, यदि कोई हों, की पहचान की जानी चाहिए;

(ग) यदि आवेदक, किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की ईप्सा करता है तो आवेदक द्वारा अवश्य—

(i) अपने आवेदन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए; और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की सुसंगत अन्तर्वस्तु की पहचान की जानी चाहिए जिस पर आवेदक निर्भर करता है;

(घ) आवेदन में अवश्य इस बात के कारण बताएगा कि, यथास्थिति, दावे में सफल होने या दावे का प्रतिवाद करने की वस्तुतः कोई संभावनाएं क्यों नहीं हैं;

(ङ) आवेदन में अवश्य इस बात का उल्लेख कि आवेदक किस अनुतोष की ईप्सा कर रहा है और उसमें ऐसे अनुतोष की ईप्सा करने का संक्षिप्त कथन किया जाना चाहिए।

(2) जहां संक्षिप्त निर्णय के लिए कोई सुनवाई नियत कर दी जाती है, वहां प्रत्यर्थी को कम से कम तीस दिन की सूचना निम्नलिखित के बारे में अवश्य दी जानी चाहिए—

(क) सुनवाई के लिए नियत तारीख; और

(ख) दावा, जिसका ऐसी सुनवाई में न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रत्यर्थी, संक्षिप्त निर्णय के आवेदन की सूचना या सुनवाई की सूचना की प्राप्ति (जो भी पूर्वतर हो) के तीस दिन के भीतर ऐसे किन्हीं अन्य विषयों के अतिरिक्त, जिन्हें प्रत्यर्थी सुसंगत समझता है नीचे वर्णित खंड (क) से खंड (च) में वर्णित के विषयों के प्रति उत्तर दे सकेगा—

(क) उत्तर में प्रमिततः—

(i) सभी तात्त्विक तथ्य अवश्य प्रकट किए जाने चाहिए;

(ii) विधि के प्रश्न की, यदि कोई हो, अवश्य पहचान की जाएगी; और

(iii) वे कारण अवश्य बताए जाने चाहिए कि आवेदक द्वारा ईमित अनुतोष क्यों मंजूर नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) यदि प्रत्यर्थी अपने उत्तर में किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की ईप्सा करता है तो प्रत्यर्थी द्वारा अवश्य,—

(i) अपने उत्तर में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य सम्मिलित किए जाने चाहिए; और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की सुसंगत अन्तर्वस्तु की पहचान की जानी चाहिए जिस पर प्रत्यर्थी निर्भर करता है;

(ग) उत्तर में इस बात के कारण अवश्य बताए जाने चाहिए कि, यथास्थिति, दावे में सफल होने या दावे का प्रतिवाद करने की वस्तुतः कोई संभावनाएं क्यों हैं;

(घ) उत्तर में प्रमिततः उन विवाद्यकों का कथन अवश्य होना चाहिए, जो विचारण के लिए विरचित किए जाने चाहिए;

(ड) उत्तर में इस बात की पहचान अवश्य की जानी चाहिए कि विचारण पर ऐसा कौन सा अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लाया जाएगा जो संक्षिप्त निर्णय के प्रक्रम पर अभिलेख पर नहीं लाया जा सका; और

(च) उत्तर में यह अवश्य कथन होना चाहिए कि अभिलेखबद्ध साक्ष्य या सामग्री, यदि कोई हो, के प्रकाश में न्यायालय को संक्षिप्त निर्णय की कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिए।

5. संक्षिप्त निर्णय की सुनवाई के लिए साक्ष्य—(1) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रत्यर्थी संक्षिप्त निर्णय के किसी आवेदन में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की इच्छा करता है, तो प्रत्यर्थी को—

(क) ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य फाइल करना चाहिए, और

(ख) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां, आवेदन के प्रत्येक अन्य पक्षकार पर, सुनवाई की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, अवश्य तामील करनी चाहिए।

(2) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदक, प्रतिवादी के दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर में दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की इच्छा करता है, तो आवेदक को—

(क) उत्तर में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य फाइल करना चाहिए, और

(ख) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति की प्रत्यर्थी पर, सुनवाई की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व, अवश्य तामील करनी चाहिए।

(3) तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उपनियम (1) और उपनियम (2) में, दस्तावेजी साक्ष्य—

(क) फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा यदि ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पहले ही फाइल किया जा चुका है; या

(ख) उस पक्षकार पर तामील करना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उसकी पहले ही तामील की जा चुकी है।

6. आदेश, जो न्यायालय द्वारा किए जा सकेंगे—(1) इस आदेश के अधीन किए गए किसी आवेदन पर, न्यायालय, ऐसे आदेश का सकेगा जो वह स्वविवेकानुसार उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित भी हैं,—

(क) दावे पर निर्णय का आदेश;

(ख) इसमें नीचे वर्णित नियम 7 के अनुसार सशर्त आदेश;

(ग) आवेदन को खारिज करने का आदेश;

(घ) दावे के भाग को खारिज करने का और दावे के भाग पर निर्णय का आदेश जो कि खारिज नहीं किया गया है;

(ङ) अभिवचनों को (चाहे पूर्णतः या भागतः) हटाने का आदेश; या

(च) आदेश 15क के अधीन वाद प्रबंधन के लिए कार्यवाही करने और निदेश देने का आदेश।

(2) जहां न्यायालय उपनियम (1) (क) से उपनियम (1) (च) में उपवर्णित आदेशों में से कोई आदेश करता है, वहां न्यायालय ऐसा आदेश करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

7. सशर्त आदेश—(1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इस बात की संभावना है कि दावा या प्रतिवाद सफल हो जाए किंतु यह अनधिसंभाव्य है कि वह ऐसा करेगा, वहां न्यायालय नियम 6 (1)(ख) में यथा उपवर्णित कोई सशर्त आदेश कर सकेगा।

(2) जहां न्यायालय कोई सशर्त आदेश करता है, वहां वह—

(क) ऐसा निम्नलिखित सभी शर्तों या उनमें से किसी के अधीन रहते हुए कर सकेगा,—

(i) पक्षकार से न्यायालय में धनराशि जमा करने की अपेक्षा करना;

(ii) पक्षकार से, यथास्थिति, दावे या प्रतिवाद के संबंध में विनिर्दिष्ट कदम उठाने की अपेक्षा करना;

(iii) पक्षकार से खर्चों के वापस करने के लिए, यथास्थिति, ऐसी प्रतिभूति देने या ऐसी प्रतिभूति की व्यवस्था करने की अपेक्षा करना, जो न्यायालय ठीक और उचित समझे;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित करना, जिनके अंतर्गत ऐसी हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए, जो किसी पक्षकार को वाद के लंबित रहने के दौरान होने की संभावना है, ऐसी प्रतिभूति देगा, जो न्यायालय स्वविवेकानुसार ठीक समझे; और

(ख) सशर्त आदेश के अनुपालन में असफल रहने के परिणामों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अंतर्गत ऐसे पक्षकार के विरुद्ध निर्णय पारित करना भी है जिसने सशर्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

8. खर्चों अधिरोपित करने की शक्ति—न्यायालय, संहिता की धारा 35 और धारा 35क के उपबंधों के अनुसार संक्षिप्त निर्णय के किसी आवेदन में खर्चों के संदाय का आदेश कर सकेगा।”

6. आदेश 15 का लोप—संहिता के आदेश 15 का लोप किया जाएगा।

7. आदेश 15क का अंतःस्थापन—संहिता के आदेश 15 के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“आदेश 15क

मामला प्रबंधन सुनवाई

1. प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई—न्यायालय प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई, वाद के सभी पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों की स्वीकृति का या उनके प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र फाइल करने की तारीख से चार सप्ताह के अपश्चात् करेगा।

2. मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित किए जाने वाले आदेश—मामला प्रबंधन सुनवाई में पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और जब न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इसमें ऐसे तथ्य और विश्विविषयक विवाद्यक हैं, जिन पर विचारण किया जाना अपेक्षित है, तो वह—

(क) अभिवचनों, दस्तावेजों और उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की परीक्षा करने के पश्चात् और सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) के आदेश 10 के नियम 2 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई परीक्षा पर यदि अपेक्षित हो, आदेश 14 के अनुसार पक्षकारों के बीच विवाद्यकों को विरचित करने वाला;

(ख) उन साक्षियों को, जिनकी पक्षकारों द्वारा परीक्षा की जानी है, सूचीबद्ध करने वाला;

(ग) वह तारीख नियत करने वाला, जिस तक साक्ष्य का शपथ-पत्र पक्षकारों द्वारा फाइल किया जाना है;

(घ) वे तारीखें नियत करने वाला, जिनको पक्षकारों के साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है;

(ड) वह तारीख नियत करने वाला, जिस तक पक्षकारों द्वारा लिखित तर्क न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने हैं;

(च) वह तारीख नियत करने वाला, जिसको मौखिक बहस न्यायालय द्वारा सुनी जानी है; और

(छ) मौखिक बहस के लिए पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के लिए समय सीमाएं तय करने वाला, आदेश पारित कर सकेगा।

3. विचारण पूरा करने की समय सीमा—इस आदेश के नियम 2 के प्रयोजनों के लिए तारीखें, नियत करने या समय सीमाएं तय करने में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बहस प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख से छह मास तक पूरी की जाए।

4. दिन प्रतिदिन आधार पर मौखिक साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना—न्यायालय यथासंभव यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य का अभिलेख दिन प्रतिदिन आधार पर तब तक किया जाएगा, जब तक कि सभी साक्षियों की प्रतिरक्षा पूरी नहीं हो जाती है।

5. विचारण के दौरान मामला प्रबंधन सुनवाई—न्यायालय, यदि आवश्यक हो, समुचित आदेश जारी करने के लिए विचारण के दौरान किसी भी समय मामला प्रबंधन सुनवाईयां भी कर सकेगा जिससे नियम 2 के अधीन नियत तारीखों का पक्षकारों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जा सके और वाद के त्वरित निपटान को सुकर बनाया जा सके।

6. मामला प्रबंधन सुनवाई में न्यायालय की शक्तियां—(1) इस आदेश के अधीन हुई किसी मामला प्रबंधन सुनवाई में, न्यायालय को निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी—

(क) विवाद्यकों को विरचित करने से पूर्व, आदेश 13क के अधीन पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए लंबित आवेदन पर सुनवाई करना तथा उस पर विनिश्चय करना;



(ख) ऐसे दस्तावेजों या अभिवचनों के संकलन को, जो विवाद्यकों को विरचित करने के लिए सुसंगत तथा आवश्यक हों, फाइल करने के लिए पक्षकारों को निदेश देना;

(ग) किसी पद्धति, निदेश या न्यायालय आदेश का अनुपालन करने के लिए समय बढ़ाना या उसे कम करना, यदि उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाई पड़ता है;

(घ) सुनवाई को स्थगित करना या अग्रनीत करना, यदि न्यायालय को ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाई पड़ता है;

(ङ) आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पक्षकार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए निदेश देना;

(च) कार्यवाहियों को समेकित करना;

(छ) किसी साक्षी के नाम अथवा ऐसे साक्ष्य को हटाना, जिसे वह विरचित विवाद्यकों के प्रति अंसंगत समझे;

(ज) किसी विवाद्यक के पृथक् विचारण का निदेश देना;

(झ) ऐसे आदेश का विनिश्चय करना, जिसमें विवाद्यक पर विचारण किया जाएगा;

(ज) किसी विवाद्यक को उस पर विचार किए जाने से अपवर्जित करना;

(ट) प्रारंभिक विवाद्यक पर विनिश्चय के पश्चात् किसी दावे को खारिज करना या उस पर निर्णय देना;

(ठ) आदेश 26 के अनुसार जहां आवश्यक हो, किसी कमीशन द्वारा साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने का निदेश देना;

(ड) पक्षकारों द्वारा फाइल किए ऐसे साक्ष्य के किसी शपथ-पत्र को, जिसमें असंगत, अग्राह्य या तर्कात्मक सामग्री अन्तर्विष्ट है, नामंजूर करना;

(ढ) पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए साक्ष्य के शपथ-पत्र के किसी भाग को जिसमें असंगत, अग्राह्य या तर्कात्मक सामग्री अन्तर्विष्ट है, हटाना;

(ण) साक्ष्य के अभिलेखन कार्य इस प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करना;

(त) किसी कमीशन या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य अभिलेखन को मॉनीटर करने से संबंधित कोई आदेश पारित करना;

(थ) किसी पक्षकार को खर्चे के बजट को फाइल करने तथा उसका आदान-प्रदान करने के लिए आदेश देना;

(द) मामले का प्रबंधन करने और वाद के दक्षतापूर्वक निपटान को सुनिश्चित करने के अध्यारोही उद्देश्य को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए निदेश जारी करना या कोई आदेश पारित करना।

(2) जब न्यायालय इस आदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता है तो वह,—

(क) ऐसा आदेश, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनमें एक शर्त न्यायालय में धनराशि का संदाय करने का भी है, कर सकेगा; और

(ख) आदेश या किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख नियत करते समय, यदि न्यायालय का यह मत है कि पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना है तो वह ऐसी मामला प्रबंधन सुनवाई में पक्षकारों को भी उपस्थित रहने का निदेश दे सकेगा।

7. मामला प्रबंधन सुनवाई का स्थगन—(1) न्यायालय मात्र इस कारण से कि किसी पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाला अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, मामला प्रबंधन सुनवाई स्थगित नहीं करेगा :

परन्तु यदि सुनवाई के स्थगन की ईप्सा अग्रिम में आवेदन करके की जाती है, तो न्यायालय ऐसे आवेदन करने वाले पक्षकार द्वारा ऐसे खर्चे के संदाय पर, जो वह ठीक समझे, सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा।

(2) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति का न्यायोचित कारण है तो वह ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा।

8. आदेशों के अनुपालन के परिणाम—जहां कोई पक्षकार मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति होगी,—

(क) न्यायालय को, खर्चों के संदाय पर, ऐसे अनुपालन को माफ करना;

(ख) विचारण में, यथास्थिति, अनुपालन न करने वाले पक्षकार के शपथ-पत्र फाइल करने, साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने, लिखित निवेदन फाइल करने, मौखिक बहस करने या आगे और तर्क देने के अधिकार को पुरोबंध करना; या

(ग) जहां ऐसा अनुपालन जानबूझकर किया गया है, पुनः किया गया है और खर्चों का अधिरोपण, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां वादपत्र को खारिज करना या वाद को मंजूर करना।”

8. आदेश 18 का संशोधन—संहिता के आदेश 18 में, नियम 2 के उपनियम (3क), उपनियम (3ख), उपनियम (3ग), उपनियम (3घ), उपनियम (3ड), और उपनियम (3च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3क) कोई पक्षकार मौखिक बहस आरंभ होने से पूर्व चार सप्ताह के भीतर न्यायालय को अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न शीर्षों के अधीन लिखित तर्क पेश करेगा और ऐसे लिखित तर्क अभिलेख का भाग होंगे।

(3ख) लिखित तर्कों में समर्थन में उद्धृत की जा रही विधियों के उपबंधों तथा पक्षकार द्वारा जिन निर्णयों के उद्धरणों पर निर्भर किया जा रहा है, उनको स्पष्टतया उपदर्शित किया जाएगा और उसमें पक्षकार द्वारा निर्भर किए जा रहे ऐसे निर्णयों की प्रतियां होंगी।

(3ग) ऐसे लिखित तर्कों की प्रति उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाएगी।

(3घ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है तो बहस के समाप्त हो जाने पर, बहस की समाप्ति की तारीख के पश्चात् एक सप्ताह से अनधिक की अवधि के भीतर पुनरीक्षित लिखित तर्क फाइल करने के लिए पक्षकारों को अनुज्ञात कर सकेगा।

(3ड) लिखित तर्क फाइल करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसा स्थगन मंजूर करना वह आवश्यक न समझे।

(3च) न्यायालय मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए मौखिक निवेदनों के लिए समय को सीमित करने के लिए स्वतंत्र होगा।”

9. आदेश 18 का संशोधन—संहिता के आदेश 18 के नियम 4 उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(1क) सभी साक्षियों के साक्ष्य शपथ-पत्र, जिनका किसी पक्षकार द्वारा साक्ष्य दिया जाना प्रस्तावित है, प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई में निर्दिष्ट समय पर उस पक्षकार द्वारा समसामयिक रूप से फाइल किए जाएंगे।

(1ख) कोई पक्षकार किसी साक्षी का (जिसके अंतर्गत ऐसा साक्षी भी है, जो पहले ही शपथ-पत्र फाइल कर चुका है) शपथ-पत्र द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य तब तक पेश नहीं करेगा, जब तक उस प्रयोजन के लिए आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिया जाता है और न्यायालय द्वारा ऐसे अतिरिक्त शपथ-पत्र को अनुज्ञात करने का कारण देते हुए आदेश पारित नहीं किया जाता है।

(1ग) तथापि, किसी पक्षकार को उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा प्रारम्भ होने से पहले किसी समय पर इस प्रकार फाइल किए गए किन्हीं शपथ-पत्रों के ऐसे प्रत्याहरण के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले विना प्रत्याहरण का अधिकार होगा:

परंतु कोई अन्य पक्षकार साक्ष्य देने का हकदार होगा और ऐसे प्रत्याहृत शपथ-पत्र में की गई किसी स्वीकृत पर निर्भर करने का हकदार होगा।”।

10. आदेश 19 का संशोधन—संहिता के आदेश 19 के नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“4. न्यायालय साक्ष्य नियंत्रित कर सकेगा—(1) न्यायालय, निदेशों द्वारा, ऐसे विवाद्यकों के बारे में, जिनमें साक्ष्य अपेक्षित है, साक्ष्य को और ऐसी रीति को, जिससे ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकेगा, विनियमित कर सकेगा।

(2) न्यायालय, स्वविवेकानुसार और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे साक्ष्य को अपवर्जित कर सकेगा, जो पक्षकारों द्वारा अन्यथा पेश किया जाए।



5. साक्ष्य का संशोधन या खारिज किया जाना—न्यायालय, स्वविवेकानुसार ऐसे कारणों से, जो उपर्युक्त किए जाएँ,—

(i) मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र के ऐसे भाग का, जिससे उसकी दृष्टि में साक्ष्य का गठन नहीं होता है, संशोधन कर सकेगा या संशोधन करने का आदेश कर सकेगा; या

(ii) ऐसे मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र को, जिससे ग्राह्य साक्ष्य का गठन नहीं होता है, वापस या खारिज कर सकेगा।

6. साक्ष्य के शपथ-पत्र का रूपविधान और मार्गदर्शक सिद्धान्त—किसी शपथ-पत्र में नीचे दिए गए प्ररूप और अपेक्षाओं का अनुपालन होगा :—

(क) ऐसा शपथ-पत्र ऐसी तारीखों और घटनाओं तक, जो किसी तथ्य या उससे संबंधित किसी अन्य विषय को साबित करने के लिए सुसंगत है, सीमित होगा और उसमें उन तारीखों और घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार अनुसरण करना होगा जो किसी तथ्य या उससे संबंधित किसी अन्य विषय को साबित करने के लिए सुसंगत है;

(ख) जहां न्यायालय का यह मत है कि शपथ-पत्र केवल अभिवचनों का पुनः पेश किया जाना है या उसमें किन्हीं पक्षकारों के पक्षकथनों के विविध आधार अन्तर्विष्ट हैं, वहां न्यायालय, आदेश द्वारा शपथ-पत्र या शपथ-पत्र के ऐसे भागों को, जो वह ठीक और उपयुक्त समझे, काट सकेगा ;

(ग) शपथ-पत्र का प्रत्येक पैरा, यथासंभव, विषय के सुभिन्न भाग तक सीमित होना चाहिए;

(घ) शपथ-पत्र में यह कथन होगा कि :—

(i) इसमें के कौन से कथन अभिसाक्षी ने निजी ज्ञान से किए गए हैं और कौन से सूचना और विश्वास के विषय हैं; और

(ii) सूचना या विश्वास के किन्हीं विषयों के स्रोत का कथन होगा;

(इ) (i) शपथ-पत्र के पृष्ठों को पृथक् दस्तावेज के रूप में (या किसी एक फाइल में अंतर्विष्ट विभिन्न दस्तावेजों को एक रूप में) क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित होना चाहिए;

(ii) शपथ-पत्र संख्यांकित पैरा में विभाजित होना चाहिए;

(iii) शपथ-पत्र में सभी संख्याओं को, जिनके अन्तर्गत तारीखें भी हैं, अंकों में अभिव्यक्त किया गया होना चाहिए; और

(iv) यदि शपथ-पत्र के पाठ में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी को किसी शपथ-पत्र या किन्हीं अन्य अभिवचनों से उपावद्ध किया जाता है तो ऐसे उपावंधों और ऐसे दस्तावेजों की, जिन पर निर्भर किया जाता है, पृष्ठ संख्याएं देनी चाहिए।”।

11. आदेश 20 का संशोधन—संहिता के आदेश 20 के नियम 1 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) यथास्थिति, ¹[वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय], वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वहस के समाप्त होने के नब्बे दिन के भीतर निर्णय सुनाएगा और विवाद के सभी पक्षकारों को इलैक्ट्रोनिक मेल के माध्यम से या अन्यथा उनकी प्रतियां जारी करेगा।”।

12. परिशिष्ट ज, के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

²[परिशिष्ट-ज]

सत्य कथन

(पहली अनुसूची, आदेश 6—नियम 15क और आदेश 11—नियम 3 के अधीन)

मैं अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ:

1. मैं उक्त वाद में पक्षकार हूँ और इस शपथ-पत्र में शपथ लेने के सक्षम हूँ।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2018 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।



2. मैं मामले के तथ्यों से भलीभांति परिचित हूं और मैंने उससे संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों की परीक्षा भी की है।

3. मैं यह कथन करता हूं कि पैरा में किया गया कथन, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और पैरा में किए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं जिनके मैं सही होने का विश्वास करता हूं और पैरा में किए गए कथन विधिक सलाह पर आधारित हैं।

4. मैं यह कथन करता हूं कि किसी भी तात्त्विक तथ्य, दस्तावेज या अभिलेख का मिथ्या कथन नहीं किया गया है या छिपाया नहीं गया है और मैंने ऐसी सूचना को सम्मिलित किया है जो मेरे अनुसार इस वाद के लिए सुसंगत है।

5. मैं यह कथन करता हूं कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में मेरे द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रकट पर दिए गए हैं और उनकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न हैं और यह कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

6. मैं यह कथन करता हूं कि पूर्व उल्लिखित अभिवचन में कुल मिलाकर पृष्ठ हैं जो मेरे द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हैं।

7. मैं यह कथन करता हूं कि इसके उपाबंध, मेरे द्वारा निर्दिष्ट और निर्भर किए गए दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं।

8. मैं यह कथन करता हूं कि मुझे यह जानकारी है कि किसी मिथ्या कथन या छिपाए जाने के लिए मैं तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन रहूंगा।

स्थान:

तारीख:

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कथन मेरी जानकारी में सत्य है।

स्थान पर तारीख को सत्यापित

अभिसाक्षी ।”।]